

## प्रपत्र-2

## कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा सीकर

क्रमांक:- जिशिअ / प्राशि / सी / मान्यता / आरटीई / 2012 / 566

दिनांक:- २७.११.१२

अध्यक्ष / प्रबंधक,

प्रबंध समिति,

प्रबंधक

## अरावली सीखे स्कूल नीमचा थाना (CBSE)

विषय:- नियम ४ के उपलब्धियाँ (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता

प्रमाणपत्र द्वारा दिया गया अधिकारी

महोदय / महोदय समाज सेवा संघ (सीकर)

आपके आवेदन की दिनांक 21.11.12 और इस संबंध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चात्कर्ता पत्र व्यवहार / निरीक्षण के संदर्भ में गै अरावली सीखे स्कूल नीमचा थाना (विद्यालय का नाम और पता) को ..... रो ..... तक तीन वर्ष की विद्यालयावधि के लिए कक्षा ..... रो ..... पांच ..... तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता है। कौशल श. अधिकारी  
उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों की पूर्ती के अध्यधीन होगी:- कौशल श. अधिकारी

- मान्यता के लिए मंजूरी विरतारणीय नहीं होगी और किसी फीस तरीके से नहीं आगे मान्यता / रामबद्धता की कोई बाध्यता अन्तर्हित नहीं होगी।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम रा. 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय कक्षा-1 में या यथारिथति पूर्व विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा की छात्र-संख्या की सीमा तक आस पड़ोस के कमज़ोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बंधित बालकों को प्रवेश देना और उसकी समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करायेगा।
- ऐता 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- रोगाइटी / विद्यालय कोई प्रतिव्यक्ति फीस संग्रहीत नहीं करेगा और बालक या उसके माता - पिता या शरक्तक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
- विद्यालय आयु के सबूत के अभाव में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि:-  
 (A) विद्यालय में प्रविष्ट किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में रोका या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा,  
 (B) कोई बालक शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा,  
 (C) किसी बालक से उसकी प्रारंभिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा,
- (D) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा,
- (E) 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्योग्यता / विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों को समिलित किया जाये,
- (F) 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन अधिकथित न्यूनतम अहंताओं सहित भर्ती किये जायें, परन्तु वर्तमान अध्यापक, जो 2009 के अधिनियम के प्रारंभ पर

(2)

- न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं, वे 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुक के उपबंधों के अनुसार, 5 वर्ष की कालावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (G) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1)के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, और
- (H) अध्यापक रख्य को निजी अध्यापक कियाकलापों में नहीं लगायेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारिता पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसारण करेंगे।
8. विद्यालय 2009 के अधिनियम की धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुरक्षण करेंगे। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की पुरी सुविधाएं निम्नानुसार हैं:
- (1) विद्यालय परिसर का क्षेत्र.....~~५००० वर्ग मीटर~~.....(2) कुल निर्भित क्षेत्र.....~~५००० वर्ग मीटर~~.....
- (3) खेल-कूद के भैदान का क्षेत्र.....(4) कक्षा के कमरों की संख्या.....~~१२~~.....
- (5) प्रधानाध्यापक एवं कार्यालय एवं भेंडार कक्ष.....~~३५~~.....
- (6) लड़के और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शौचघर.....~~८~~.....
- (7) पीने के पानी की सुविधा.....~~८~~.....(8) मिड-डे मील पकाने के लिए रसोईघर.....~~८~~.....
- (9) अवरोध विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपरकर/पुरताकालय की उपलब्धता.....~~८~~.....
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उरी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेंगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या गैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं.28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तात्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक ज्यादा द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
14. आपके विद्यालय को आंवटित मान्यता कोड संख्या N.K.T. ३८ है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना देना जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के पुस्तकालयों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा जारी किये जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

**भौटः- आर०टी०इ०१० के समर्त मानदण्ड ३१ मार्च २०१३ तक अनिवार्य है**  
**से पूर्ण करने होंगे।**

SECRETARY

Aravali Public School  
Management Committee  
NEEM KA THANA (Sikar)

जिला शिक्षा अधिकारी  
प्रारंभिक शिक्षा सीकर

PRINCIPAL  
Aravali Public School  
Neem Ka Thana (Sikar)  
Aff. No. 1730284